

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना
पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या: 173/2022 दायर दिनांक 17.05.2022

वादी

1. अरविन्द पुत्र नारायणराम
जाति जाट निवासी ग्राम
धनकोली तहसील
डीडवाना जिला नागौर
राज0।

प्रतिवादीगण

1. बिरदाराम पुत्र रामुराम
2. संतोष पत्नि स्व0 बालूराम
3. पंकज पुत्र स्व0 बालूराम
4. निरज पुत्र स्व0 बालूराम
5. देवाराम पुत्र गुमानाराम
6. भुवानाराम पुत्र गुमानाराम
7. रामेश्वरी देवी पत्नि भंवरलाल
8. दिनेश कुमार पुत्र भंवरलाल
9. उषा पुत्री भंवरलाल
10. सुमित्रा पुत्री भंवरलाल
11. मनीषा देवी पत्नि मनोज कुमार
12. राहुल वगड़िया पुत्र मनोज कुमार
13. संतोष पत्नि हेमाराम
14. रंजित कुमार पुत्र हेमाराम
15. सरिता पुत्री हेमाराम
16. सुमन पुत्री हेमाराम
17. सुप्यार पत्नि नारायणराम
18. पवन कुमार पुत्र नारायणराम
19. रोनक पुत्री नारायणराम
20. विनीता पुत्री नारायणराम
21. सरीता पुत्री नारायणराम
22. सुनिता पुत्री नारायणराम समस्त जाति
जाट निवासीगण ग्राम धनकोली तहसील
डीडवाना जिला नागौर राज0।
23. तहसीलदार डीडवाना।

बनाम्

दावा बाबत्

बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री सुनिल कुमार शर्मा वकील वादी।
2. श्री पंकज शर्मा वकील प्रतिवादीगण।

-:: अंतिम निर्णय ::-

दिनांक 10.02.2025

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है वाके सरहद धनकोली के खेत खसरा सं0 520 रकबा 0.1700 हैक्टे0, खसरा सं0 523 रकबा 0.1100 हैक्टे0, खसरा सं0 524 रकबा 0.0700 हैक्टे0, खसरा सं0 525 रकबा 0.0400 हैक्टे0 कुल रकबा 0.3900 हैक्टे0 की भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 22 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनांक 31.03.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार मौलासर को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार मौलासर ने अपने पत्रांक: 214 दिनांक 22.03.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार मौलासर द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान् बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार मौलासर सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार मौलासर के द्वारा प्रस्तावित विभाजन जरिये पत्रांक: 214 दिनांक 22.03.2024 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादर की जाती है।

Jas



उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

-:: आदेश ::-

अतः हस्य दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद धनकोली के खेत खसरा सं० 520 रकबा 0.1700 हैक्टे०, खसरा सं० 523 रकबा 0.1100 हैक्टे०, खसरा सं० 524 रकबा 0.0700 हैक्टे०, खसरा सं० 525 रकबा 0.0400 हैक्टे० कुल रकबा 0.3900 हैक्टे० भूमि में वादी व प्रतिवादी सं० 01 ता 22 के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार मौलासर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 214 दिनांक 22.03.2024 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

तहसीलदार मौलासर का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 214 दिनांक 22.03.2024 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

Wkas

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी

डीडीपहाना

निर्णय आज दिनांक 10.02.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Wkas

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी

डीडीपहाना

डिक्री व मुकदमा में इच्छादाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना
वड़जलास : विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 173/2022
वादी

दायर दिनांक 17.05.2022

1. अरविन्द पुत्र नारायणराम
जाति जाट निवासी ग्राम
धनकोली तहसील
डीडवाना जिला नागौर
राज0।

प्रतिवादीगण

1. विरदाराम पुत्र रामुराम
2. संतोष पत्नि स्व0 बालूराम
3. पंकज पुत्र स्व0 बालूराम
4. निरज पुत्र स्व0 बालूराम
5. देवाराम पुत्र गुमानाराम
6. भुवानाराम पुत्र गुमानाराम
7. रामेश्वरी देवी पत्नि भंवरलाल
8. दिनेश कुमार पुत्र भंवरलाल
9. उषा पुत्री भंवरलाल
10. सुमित्रा पुत्री भंवरलाल
11. मनीषा देवी पत्नि मनोज कुमार
12. राहुल बगड़िया पुत्र मनोज कुमार
13. संतोष पत्नि हेमाराम
14. रंजित कुमार पुत्र हेमाराम
15. सरिता पुत्री हेमाराम
16. सुमन पुत्री हेमाराम
17. सुप्यार पत्नि नारायणराम
18. पवन कुमार पुत्र नारायणराम
19. रोनक पुत्री नारायणराम
20. विनीता पुत्री नारायणराम
21. सरीता पुत्री नारायणराम
22. सुनिता पुत्री नारायणराम समस्त जाति जाट
निवासीगण ग्राम धनकोली तहसील डीडवाना
जिला नागौर राज0।
23. तहसीलदार डीडवाना।

बनाम्

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकॉर्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 10.02.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री सुनिल कुमार शर्मा वकील वादी, श्री पंकज शर्मा वकील प्रतिवादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद धनकोली के खेत खसरा सं0 520 रकबा 0.1700 हैक्टे0, खसरा सं0 523 रकबा 0.1100 हैक्टे0, खसरा सं0 524 रकबा 0.0700 हैक्टे0, खसरा सं0 525 रकबा 0.0400 हैक्टे0 कुल रकबा 0.3900 हैक्टे0 भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 22 के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार मौलासर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 214 दिनांक 22.03.2024 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार मौलासर का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 214 दिनांक 22.03.2024 निर्णय एवं डिक्री ग अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमा के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 10.02.2025 को सरे इजलास में जारी की गयी।

Neas

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	— —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Handwritten signature

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना